

प्रिय,

श्री आरिह गांधी,  
उप निदेशक,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
विद्या भवन, 2 तम दरवाजा, इंदौर,  
प्रा. वि. विभाग, नई दिल्ली ।

विद्या 171 अनुभाग

तारीख: दिनांक: 25 अक्टूबर, 1993

विषय:-

लाल बहादुर तैलिक स्कूल, कविनगर, गाजियाबाद को सी.बी.सी.ई. नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनारक्षित प्रमाण पत्र दिले जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह ज्ञान का निदेश हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री तैलिक स्कूल, कविनगर, गाजियाबाद को (सी.बी.सी.ई.) नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनारक्षित नहीं है ।

- 1- विद्यालय की संशुद्धी योजना का तमम तमम पर मजानाकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दो प्रतिबन्ध स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघटित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए नियमित रूप से अधिक तुल्य नहीं लिया जायेगा ।
- 4- सेवा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोशिका कार्टि इंजिन स्कूल नहीं/श्री.इ.ए.इ. नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा करिबन्धों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान तथा समाप्ता हो जायेगी ।
- 5- सेवा संबंधित सभी शिक्षण सामग्री को राजकीय तहायता प्राप्त शिक्षण सामग्री के बजाय ही अनुसूचित क्षेत्रों तथा अन्य भागों से कम वेतनमान तथा अन्य भागों नहीं दिये जायेगे ।
- 6- समवायियों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त असासकीय उत्पन्न माध्यमिक विद्यालयों के समवायियों की अनुसूचित

*[Signature]*  
Manager

**L. B. S. S. S. SCHOOL**  
Kavi Nagar,  
Ghaziabad

*Vibha Chaturvedi*  
(PRINCIPAL)

**LAL BAHADUR SHASTRI**  
Sainik School  
(Affiliated to C.B.S.E., New Delhi)  
Code : 2130205  
L.B.S.S.S. KAVINAGAR, GHAZIABAD, U.P.

देवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायें।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, तैय्या उनका पालन करेगी।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीबुक्तों में रखा जायेगा।

9- उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना प्रलोभन परिवर्तन/संशोधन वा परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैय्या के लिए अनिवार्य होगा और यदि क्विटा समय वह पाया जाता है कि तैय्या द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उभय पालन करने में क्विटा प्रकार की चुक या सिमितता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुपस्थित प्रमाण पर वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

आचार्य सांगली  
उप तैय्या।

पुणे 3484111/15-7-1993 तदुद्दिनांक  
\*\*\*\*\*

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनाई एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- क्विटा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- क्विटा उप क्विटा निदेशक, मेरठ क्विटा, मेरठ।
- 3- क्विटा विद्यालय निरीक्षक, सांगलीबाद।
- 4- निरीक्षक, जंम भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- ✓ 5- प्रबन्धक, नाम बहादुर शास्त्री तैय्या स्कूल, क्विटा, सांगलीबाद।

आज्ञा है,

*Abha Chatur*  
(PRINCIPAL)  
LAL BAHADUR SHASTRI  
Sainik School  
(Affiliated to C.B.S.E., New Delhi)  
Code : 2130205  
E-BLOCK, KAVINAGAR, GHAZIABAD. (U.P.)

*Manoj Kumar*  
Manager  
L. B. S. S. SCHOOL  
Kavi Nagar,  
Ghaziabad  
आचार्य सांगली  
उप तैय्या।